



प्रेस नोट 01- दिनांक 10.09.2024

थाना बिहार, जनपद उन्नाव

दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिहार पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 18.08.2024 को वादी मुकदमा की तहरीर पर थाना बिहार पर मु0अ0सं0-197/2024 धारा 137(2)/87 भारतीय न्याय संहिता-2023 बनाम विवेक उर्फ विशाल पुत्र मुन्नीलाल उर्फ राजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम खेसुआ थाना बिहार जनपद उन्नाव के पंजीकृत किया गया। पीड़िता के बयान धारा 180/183 BNSS के अवलोकन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) BNS व 5/6 पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। उक्त मुकदमे में वांछित चल रहे अभियुक्त विवेक उर्फ विशाल पुत्र मुन्नीलाल उर्फ राजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम खेसुआ थाना बिहार जनपद उन्नाव करीब 20 वर्ष को अन्तर्गत धारा 137(2)/87/65(1) भारतीय न्याय संहिता-2023 व 5/6 पाक्सो एक्ट में आज दिनांक 10.09.2024 को लालगंज हाईवे आकमपुर तिराहे के पास से थाना बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. विवेक उर्फ विशाल पुत्र मुन्नीलाल लोध उर्फ राजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम खेसुआ थाना बिहार जनपद उन्नाव करीब 20 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम

- 1.उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह यादव थाना बिहार उन्नाव।
- 2.कां0 अतुल कुमार थाना बिहार उन्नाव।





प्रेस नोट 02- दिनांक 10.09.2024

जनपद उन्नाव

दो वारंटी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सोहरामऊ व थाना अजगैन पुलिस द्वारा दो वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

थाना सोहरामऊ - आज दिनांक 10.09.2024 को उ0नि0 श्री रमेशचन्द्र राणा ,हे0का0 हृदयनारायण, का0 अंकुश पवार द्वारा केस नं0 -2627/23, NCR- 64/12 धारा -426/504/506 भादवि थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव माननीय न्यायालय श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं0-1 जनपद उन्नाव से सम्बन्धित अभियुक्त राजबहादुर पुत्र गुरुदीन निवासी ग्राम बाबाखेडा मजरा आशाखेडा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 48 वर्ष को समय करीब 08.50 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना अजगैन -दिनांक 09.09.2024 को उ0नि0 श्री ज्ञान सिंह, का0 सोनू कुमार द्वारा केस नं0 - 10313/2024 धारा -323/504 भादवि थाना अजगैन जनपद उन्नाव माननीय न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद उन्नाव से सम्बन्धित अभियुक्त जुरावर पुत्र गजराज निवासी ओहरापुर कौडिया थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 45 वर्ष को उसके से समय करीब 21.15 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।





प्रेस नोट 03- दिनांक 10.09.2024

थाना बिहार, जनपद उन्नाव

नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिहार पुलिस द्वारा नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 14.12.2023 को वादिनी मुकदमा की तहरीर पर थाना बिहार पर मु0अ0सं0- 266/2023 धारा 363/366 आईपीसी बनाम- नौशाद पुत्र अमीरअली निवासी कंहिजर थाना सरेनी जनपद रायबरेली के पंजीकृत किया गया। उक्त मुकदमे में पीडिता की सकुशल बरामदगी की गयी तथा पीडिता के बयान अन्तर्गत धारा 161/164 सीआरपीसी का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर नामित आरोपी नौशाद पुत्र अमीरअली निवासी कंहिजर थाना सरेनी जनपद रायबरेली की नामजदगी गलत की गयी तथा प्रकाश मे आये व वांछित चल रहे अभियुक्त गुलशुन कुमार पुत्र बचोले निवासी नरी खेडा थाना बिहार जनपद उन्नाव उम्र 22 वर्ष को अन्तर्गत धारा 363/366 आईपीसी मे आज दिनांक 10.09.2024 को थाना बिहार पुलिस द्वारा हमारा पेट्रोल पम्प के सामने शुक्ला होटल से गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. गुलशुन कुमार पुत्र बचोले निवासी नरी खेडा थाना बिहार जनपद उन्नाव उम्र 22 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 बृजेन्द्र सिंह यादव थाना बिहार उन्नाव।
2. हे0का0 सूर्यधर द्विवेदी थाना बिहार उन्नाव।
- 3 का0 शैलेश कुमार थाना बिहार उन्नाव।





प्रेस नोट 04- दिनांक 10.09.2024

थाना बिहार, जनपद उन्नाव

अवैध कच्ची शराब के साथ 03 गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिहार पुलिस एवं आबकारी टीम द्वारा एक अभियुक्त व दो अभियुक्ताओं को 34 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 09.09.2024 को उ0नि0 बृजेन्द्र सिंह मय हमराह थाना बिहार जनपद उन्नाव तथा आबकारी निरीक्षक प्रतिभा सिंह मय हमराह क्षेत्र-5 बीघापुर उन्नाव द्वारा अवैध कच्ची शराब के बिक्री, निष्कर्षण व परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए निरन्तर चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत ग्राम अकवारा में अभियुक्त 1. रमेश पुत्र छोटेलाल पासी उम्र करीब 45 वर्ष 2.मालती पत्नी रमेश उम्र करीब 40 वर्ष निवासीगण ग्राम अकवारा थाना बिहार जनपद उन्नाव को अवैध कच्ची शराब की बिक्री करते हुए गिरफ्तार किया गया। जिसमें अभियुक्त रमेश के कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में 15 लीटर व अभियुक्ता मालती के कब्जे से दो बोतलों में दो – दो लीटर 04 लीटर कच्ची देशी नाजायज शराब बरामद हुई तथा ग्राम अकवारा में ही मुन्नू की बगिया से एक नफर अभियुक्ता 1.रामकली पत्नी राकेश उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम अकवारा थाना बिहार जनपद उन्नाव को एक प्लास्टिक की पिपिया में 15 ली0 कच्ची देशी नाजायज शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर नियमानुसार मु0अ0स0-215/24 धारा 60 Ex Act बनाम 1.रमेश पुत्र छोटेलाल पासी उम्र करीब 45 वर्ष 2.मालती पत्नी रमेश पासी उम्र करीब 40 वर्ष निवासीगण ग्राम अकवारा थाना बिहार जनपद उन्नाव तथा मु0अ0स0 216/24 धारा 60 Ex Act बनाम रामकली पत्नी राकेश उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम अकवारा थाना बिहार जनपद उन्नाव पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1.रमेश पुत्र छोटेलाल पासी उम्र करीब 45 वर्ष
- 2.मालती पत्नी रमेश पासी उम्र करीब 40 वर्ष
- 3.रामकली पत्नी राकेश उम्र करीब 38 वर्ष निवासीगण ग्राम अकवारा थाना बिहार जनपद उन्नाव

बरामदगी का विवरण- कुल 34 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीम

- 1.उ०नि० बृजेन्द्र सिंह थाना बिहार ।
- 2.हे०कां० सूर्यधर द्विवेदी थाना बिहार ।
- 3.कां० शैलेश कुमार थाना बिहार ।
- 4.म०कां० रूपा थाना बिहार ।

आबकारी टीम-

- 1.आबकारी निरीक्षक श्रीमती प्रतिभा सिंह
- 2.आबकारी सिपाही विनय कुमार
- 3.आबकारी सिपाही सन्नी सिंह



प्रेस नोट 05- दिनांक 10.09.2024

थाना माखी, जनपद उन्नाव

05 वारंटी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना माखी पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 10.09.2024 को थाना माखी पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सफीपुर उन्नाव द्वारा निर्गत एनबीडब्लू वारन्ट वाद संख्या 2909/22 धारा 60 EX ACT में वारण्टी 1. राजकुमार उर्फ मिस्त्री पासी पुत्र बाबूलाल पासी नि0 ग्राम भदेमू थाना माखी उन्नाव व वाद संख्या 6142/22 धारा 60 EX ACT में वारण्टी 2. अर्जुन पुत्र नन्ही नि0 ग्राम भदेमू थाना माखी उन्नाव व वाद संख्या 5123/22 धारा 323/504/325 भादवि में वारंटी 3. शंकरलाल उर्फ दुबरी पुत्र श्याम चमार 4. हरिश्चन्द्र पुत्र शंकरलाल उर्फ दुबरी नि0 गण रावतपुर सरौहा थाना माखी उन्नाव तथा एनबीडब्लू वाद संख्या 6142/22 धारा 60 EX ACT में वारण्टी 5. फूलचन्द्र पुत्र दीनदयाल नि0 ग्राम हरीगढी थाना माखी उन्नाव द्वारा निर्गत वारण्ट के क्रम में आज दिनांक 10.09.2024 को उसके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया तथा मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. राजकुमार उर्फ मिस्त्री पासी पुत्र बाबूलाल पासी नि0 ग्राम भदेमू थाना माखी उन्नाव
2. अर्जुन पुत्र नन्ही नि0 ग्राम भदेमू थाना माखी उन्नाव
3. शंकरलाल उर्फ दुबरी पुत्र श्याम चमार
4. हरिश्चन्द्र पुत्र शंकरलाल उर्फ दुबरी नि0 गण रावतपुर सरौहा थाना माखी उन्नाव
5. फूलचन्द्र पुत्र दीनदयाल नि0 ग्राम हरीगढी थाना माखी उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 दिनेश चन्द्र
2. का0 दिशान्त चौधरी,
3. का0 राहुल कुमार

